Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अति0 कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

तहसीलदार बडीसादडी बनाम **मुमताज वगैराह**

किस्मा मुकदमा **रेफरेंस प्रार्थना पत्र** नं0 **002** सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.08.2021	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तहसीलदार बडीसादडी द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का इस प्रकरण के अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 003/2018 अनवानी तहसीलदार बडीसादडी बनाम मुमताज वगैराह है। उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.07.2021 द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बडीसादडी को रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान के समक्ष आगामी 3 माह में आवश्यक रूप से नियमानुसार मय सुसंगत दस्तावेज के प्रस्तुत कराने निर्देश दिये जा चुके है। ऐसी स्थिति में इस रेफरेंस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाही गई दाद मिल जाने से यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो चुका है, अतः इस रेफरेंस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। – ह0 – (रतन कुमार) अतिरिक्त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 11.08.2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official